

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
(उर्दू निदेशालय)

कार्यालय आदेश

का० आ० सं० उ०नि०- 26/2013.....⁴⁸...../रा०, पटना, दिनांक.....⁵⁻⁹⁻¹³.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 1609, दिनांक 24.05.2011 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उर्दू निदेशालय के अधीन मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक एवं टंकक (उर्दू/हिन्दी) जो 50 (पचास) वर्षों की आयु पूरा कर चुके हैं, उन्हें कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मो० बशीर)

उप निदेशक (उर्दू)

ज्ञापांक- उ०नि०- 26/2013.....²⁸⁸...../रा०, पटना, दिनांक.....⁵⁻⁹⁻¹³.....

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है।


2. प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3. प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है।

4. प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है।

5. प्रतिलिपि :- मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, लेखा शाखा को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓6. प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु दी जाती है।


05/9/13


(मो० बशीर)
उप निदेशक (उर्दू)


05/9/13